समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Wednesday, 23 September 2026

जैसलमेर मे भंीषण गर्मी का असर, कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने बदला स्कूल समय

राजेश चौधरी

Published on 25 Apr 2026

[illegible] [illegible] |[illegible], [illegible] | [illegible] [illegible] [illegible]

जिले में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने स्कूली बच्चों को राहत देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने आदेश जारी कर नर्सरी से कक्षा 8 तक के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों के समय में बदलाव कर दिया है।

नए आदेश के अनुसार, 24 अप्रैल से इन कक्षाओं के स्कूल अब सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक संचालित होंगे। वहीं कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों और परीक्षाओं के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। शिक्षकों और स्कूल स्टाफ को पूर्व निर्धारित समय के अनुसार ही उपस्थित रहना होगा।

प्रशासन ने यह निर्णय मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए येलो अलर्ट को ध्यान में रखते हुए लिया है। मौसम वैज्ञानिक अतुल गालव के अनुसार, 25 अप्रैल से जिले में लू का प्रभाव बढ़ने की संभावना है और अगले तीन दिनों में तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। गुरुवार को ही अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री दर्ज किया गया, जिससे जनजीवन पर असर साफ दिखाई दे रहा है।

तेज गर्मी के कारण दोपहर के समय बाजारों और सड़कों पर सन्नाटा छा रहा है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां रेतीले धोरों के कारण गर्मी का प्रभाव अधिक होता है, वहां स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है।

कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आदेश की अवहेलना करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य बच्चों को लू और गर्मी के दुष्प्रभाव से सुरक्षित रखना है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह

डॉक्टरों ने भीषण गर्मी को देखते हुए अभिभावकों और बच्चों को सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक

पानी पीना चाहिए, बच्चों को धूप में बाहर जाने से बचाना चाहिए और हल्के रंग के सूती कपड़े पहनने चाहिए। यदि किसी को चक्कर, कमजोरी या थकान महसूस हो, तो तुरंत चिकित्सकीय सहायता लेनी चाहिए।

प्रशासन द्वारा उठाया गया यह कदम बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/राजेश चौधरी, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.